

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 2636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3322(अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 4 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक की प्राधिकृत पूंजी को चार सौ पचास करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक हजार चार सौ पचास करोड़ रुपए करती है।

[फा. सं. 24/8/2014-आईएफ-II]

पंकज जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

S.O. 3322(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to section 4 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby increases the authorised capital of the National Housing Bank from Rupees Four Hundred and Fifty Crores to Rupees One Thousand Four Hundred and Fifty Crores.

[F. No. 24/8/2014-IF-II]

PANKAJ JAIN, Jt. Secy.

5142 GI/2015